बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 159960 पटना, दिनांक :- 16-08-2013

ग्रा.वि.7(आं) -26/2013

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- **मनरेगा अंतर्गत सार्वजनिक योजनाओं के निर्माण के क्रम में निजी भूमि पर निर्माण कार्य के संबंध में दिशानिर्देश ।**

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा मनरेगा अंतर्गत अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने, उनकी आजीविका सुरक्षा को बढाने तथा स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से पूरे राज्य में व्यापक पैमाने पर सार्वजनिक तथा निजी भूमि पर अनुमान्य कार्यों को लिया गया है । योजना अंतर्गत अनुमान्य सार्वजनिक कार्य निम्नलिखित हैं :-

1. *सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण*
2. *गाँवों के भीतर जहाँ भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क से संपर्क मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क*
3. *ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण*
4. *ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे कि विद्यालय शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन*
5. *आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण*
6. *खेल के मैदानों का निर्माण, इत्यादि*

सार्वजनिक कार्यों की श्रेणी में सम्मिलित कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होता है । सरकारी/ सार्वजनिक जमीन की अनुपलब्धता के चलते निजी भूमि पर भी इन योजनाओं का निर्माण पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है, यद्यपि जनहित एवं जनता की मांग को ध्यान में रखते हुये हीं, इन योजनाओं को ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है । इन संस्थाओं में प्रत्यक्ष रुप से जनता एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होती है तथा योजनाओं की पूर्ण जानकारी क्षेत्र की जनता को रहती है, फिर भी इन योजनाओं के निर्माण के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा आपत्ति उठायी जाती है कि यह निर्माण उनकी निजी भूमि पर बगैर उनकी जानकारी के ही किया गया है और वे निर्माण को हटाने अथवा मुआवजे की मांग करते है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये मनरेगा अंतर्गत निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

I. इन योजनाओं का निर्माण यथा सम्भव सरकारी/ सार्वजनिक जमीन पर ही सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जाय ।

II. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक भवन निर्माण की योजनाओं के लिये सरकारी/ सार्वजनिक जमीन उपलब्ध नहीं होने पर पंचायतों द्वारा निजी जमीन पर भवन निर्माण की स्वीकृति तभी दी जाय जब संबंधित रैयत द्वारा उक्त जमीन को राज्यपाल के नाम से निबन्धित (registry) कर दिया जाय । विदित हो कि मनरेगा अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु किसी भी राशि के उपलब्धता का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये जमीन दान स्वरुप दी जानी चाहिये ।

III. चूँकि सडक/ गली एवं नाली के निर्माण की योजनाओं में अधिकांशतः अनेक रैयतों की भूमि सम्मिलित होती है, प्रति रैयत सम्मिलित भूमि का रकबा काफी छोटा होता है एवं कुछ भू-धारी अपने नौकरी/ व्यवसाय के क्रम में गाँव से बाहर रहते हैं, इसलिये सभी रैयतों से अनके जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित कराना काफी जटील होगा एवं कार्य प्रारम्भ में विलम्ब होगा जिससे योजना की उपयोगिता तो प्रभावित होगी । अतएव ऐसे मामलों में कम से कम निम्नलिखित कार्रवाई करने के उपरांत हीं योजना प्रारम्भ करना व्यवहारिक होगा :-

क) ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें रैयती भूमि का सार्वजनिक उपयोग सडक/गली/नाली के रुप में वर्षों से किया जा रहा है । परन्तु इन सडकों/गलियों/नालियों का पक्कीकरण नहीं होने अथवा alignment (सरेखण) सही नहीं होने के कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन एवं जल निकासी में कठिनाई होती है । यदि ऐसे कच्चे सडकों/गलियों/नालियों के पक्कीकरण की योजना ग्राम सभा में ली जाती है तो गाँव के कम से कम दो व्यक्तियों, जिसमें से एक उस वार्ड के वार्ड सदस्य होंगे जिस वार्ड के रैयती भूमि का सार्वजनिक उपयोग होना है, का गवाह के रुप में हस्ताक्षर सहित संबंधित रैयत की लिखित सहमति शपथपत्र से प्राप्त होने के पश्चात ही उस योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय । यदि किसी रैयत द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो उस रैयत की भूमि पर स्थित कच्चे सडक/गली/नाली का पक्कीकरण नहीं किया जाय ।

ख) सडक/गली/नाली के निर्माण की नई योजना को प्रारम्भ करने के पूर्व अनिवार्य रुप से उस सडक/गली/नाली से आच्छादित होने वाली जमीन के सभी रैयतों से गाँव के कम से कम दो व्यक्तियों, जिसमें से एक उस वार्ड के वार्ड सदस्य होंगे जिस वार्ड के रैयती भूमि का सार्वजनिक उपयोग होना है, का गवाह के रुप में हस्ताक्षर सहित संबंधित रैयत की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय । यदि उस योजना के अधीन प्रस्तावित किसी जमीन के रैयत द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो उस योजना का प्रारम्भ नहीं किया जाय ।

IV. उपरोक्त तीन कंडिकाओं में दिये गये निदेशों के अनुपालन के पश्चात प्रारम्भ की गयी योजनाओं के निर्माण के क्रम में भी यदि योजना के अधीन पडने वाले जमीन के किसी रैयत द्वारा उनके निजी जमीन पर निर्माण कार्य किये जाने के दौरान कोई आपत्ति की जाती है, तो उसका निश्चित रुप से यथाशीघ्र निराकरण कर ही आगे का निर्माण कार्य किया जाय ।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

14.8.13

(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव